चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे ''मिशन शक्ति अभियान-4'' के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

''मिशन शक्ति अभियान-4'' व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 09.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को ''मिशन शक्ति'' व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित ''एंटी रोमियो स्क्वायड'' टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 09.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 के आदेश के क्रम में आज दिनाँक 09.04.2025 को अपर पुलिस चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में थाना/चौकियों से नामित आरक्षी/महिला आरक्षियों का 07 दिवसीय सीसीटीएनएस प्रशिक्षण चल रहा है जिसमें प्रभारी निरीक्षक आईजीआरएस श्री प्रदीप कुमार यादव व आरक्षी मानवेन्द्र द्वारा बताया गया कि जनसुनवाई/आईजीआरएस पोर्टल माननीय मुख्यमंत्री की महात्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस पोर्टल का उद्देश्य प्राप्त जनसमस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु है। इसकी समीक्षा शासन स्तर पर प्रतिदिन की जाती है तथा जनपद एवं थाना स्तर पर फीडबैक में सुधार के सम्बन्ध में, आईजीआरएस/जनसुनवाई की निस्तारण हेतु शासन द्वारा समय सीमा,शासन के द्वारा दिये गये समय के अन्दर आईजीआरएस/जनसुनवाई को पोर्टल पर अपलोड करना साथ ही बताया गया कि आईजीआरएस/जनसुनवाई प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं के प्रति नागरिकों की शिकायतों का समाधान करना है। इस प्रणाली से नागरिकों को उनकी शिकायते दर्ज करने,ट्रैप करने और समाधान प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करती है। यह प्रणाली शासन/पुलिस के प्रति पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में सहायक है। इसमें सीएम डैसबोर्ड,डीआईजी,डीएम व अन्य कई पोर्टल होते है जिसका अलग अलग समय शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। यह कार्यशाला 04.04.2025 से प्रारम्भ होकर दिनाँक 10.04.2025 तक चलेगी।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अनिल मिश्रा व उनकी टीम द्वारा नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 03.04.025 कोतवाली कर्वी अन्तर्गत ग्राम निवासी वादिया द्वारा कोतवाली कर्वी पर सूचना दी कि उनकी नाबालिक पुत्री को रावेंद्र कुमार पुत्र रामलाल बहला फुसलाकर ले गया। इस सम्बन्ध में कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 206/2025 धारा 137(2) एक्ट बीएनएस पंजीकृत किया गया। आज दिनाँक 09.04.2025 को अभियुक्त हनी उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। पीडिया के बयान अन्तर्गत 183 बीएनएसएस व मेडिकल परीक्षण के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(2) बीएनएस व 4(2) पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी गयी गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री अनिल मिश्रा

2.आरक्षी इंदल कुमार

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री मनोज कुमार एवं पैरोकार आरक्षी मो0 आरिफ द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) जनपद चित्रकूट श्री सचिन कुमार दीक्षित द्वारा आज दिनाँक 09.04.2025 को थाना भरतकूप में पंजीकृत मु0अ0सं0 111/2020 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त श्रीचन्द्र पुत्र सुखराज निवासी मछरिहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 2500/- रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(6). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी वेदान्त तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं शासकीय अधिवक्ता श्री सनद मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एससी एसटी एनडीपीएस कोर्ट श्री राममणि पाठक द्वारा आज दिनांक 09.04.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 222/2020 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त सुधीर कुमार पटेल पुत्र धर्मराज सिंह पटेल निवासी सपहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 02 वर्ष का साधार कारावास एवं 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 08.05.2020 को उ0नि0 श्री अजय कुमार थाना कोतवली कर्वी एवं उनकी टीम द्वारा अभियुक्त सुधीर कुमार पटेल को 01 किलो 150 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार कर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 222/2020 धारा 8/20 एनडीपीसीएस एक्ट पंजीकृत कराया गया था। विवेचना उ0नि0 श्री वारिज को सुपुर्द की गयी विवेचक उपरोक्त द्वारा आरोपी के विरूद्ध दिनाँक 11.11.2021 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में चौकी परिक्रमा मार्ग खोही उ0नि0 श्री रमेश सिंह व उनकी टीम द्वारा मु0नं0 661/18 धारा 363/376/366 भादवि0 के वारंटी अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र सूरजपाल निवासी बालापुर माफी चौकी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री रमेश सिंह चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग खोही
2. आरक्षी रविन्द्र कुमार

(8). मिशन शक्ति अभियान फेज-5 के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में ऑपरेशन बचपन के क्रम में आज दिनाँक 09.04.2025 बालश्रम अधिकारी कर्वी श्री महेन्द्र शुक्ला तथा थाना एचटीयू प्रभारी श्री शिवमूरत यादव,आरक्षी त्रिभुवन सिंह,आरक्षी सुशील कुमार द्वारा थाना कोतवाली कर्वी क्षेत्र के बस स्टैंड,पुरानी बाजार, रामघाट,बांदा रोड एवं रेलवे स्टेशन के विभिन्न स्थानों के आस-पास होटलों,दुकानों की चेकिंग का अभियान चलाया गया। इस दौरान होटलों में हो रहे बालश्रम की चेकिंग की गयी तथा पम्पलेट्स वितरित कर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076, साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930, वूमेन पावर लाइन नंबर 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान घुमंतू परिवार के लोगों को यह भी हिदायत दी कि बच्चों से बाल श्रम व भीख ना मंगवाए स्कूल जाने के लिए प्रेरित करें।